न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा , आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–75 / 2019 आरसीएमएस पॉर्टल नम्बरः– 2019 / 00191

उनवानः–

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कलाधर सिंह जाति त्यागी निवासी ग्राम डागरपुर तहसील व जिला धौलपुर--बादी

बनाम

1. रामजीलाल आयु करीब 48 वर्ष
2. रामवीर आयु करीब 45 वर्ष

पुत्रगण वुद्धाराम जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम डागरपुर तहसील व जिला धौलपुर -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट

उपस्थिति – 1. श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट वादी की ओर से

दिनांक 06.08.2024

निर्णय

वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 186 रकवा 15 विस्वा वाके ग्राम डागरपुर तहसील व जिला धौलपुर का वादी एकान्तिक रूप से खातेदार काश्तकार है एंव आधिपत्यधारी है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबध सरोकार नही है नाही प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कभी कोई संबध सरोकार कभी रहा है। विवादित आराजी की पूर्व दिशा में गैर मुमकिन आवादी खसरा नम्बर 185 में विवादित आराजी से लगा हुआ प्रतिवादीगण का मकान स्थित है जिसका निकास एंव सदर दरवाजा नाली, परनाले खिडकी रोशन दान पूर्व दिशा में खरंजा आम की ओर झांकते हुए स्थित है। प्रतिवादीगण अपने मकान को वर्तमान में छत की चीरियां उतारकर पुनः उचा कर निर्मित कर रहे हैं वर्तमान में निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। दिनांक 31.10.2019 को प्रतिवादीगण ने अपने मकान की चीरिया उपर चढाई जबवादी अपनी विवादित आराजी की देखभाल कर रहा था तब प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि वह अपने मकान की पश्चिमी दीवार में विवादित आराजी की ओर झांकते हुए अर्थात विवादित आराजी की ओर खुलते हुए मोरी परनाले खिडकी रोशनदान करेंगे तथा विवादित आराजी में रोज इस्तेमाल गंदा पानी एंव वर्षाती पानी जबरन लठ्ठ के बल पर वहाकर फसल नष्ट करेंगें तथावादी को शांतिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग नहीकरने देगें। जोर जबरदस्ती की तो हाथपैर तोड देंगे तथा झूठे मुकदमें में फंसा देगें। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी को भय हो गया है कि प्रतिवादीगण अपने मकान में से विवादित आराजी की ओर झांकते हुए दरवाजा खिडकी, नाली परनाले कायम कर सकते है जिससे वादी को विवादित आराजी में कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेक्षाज्ञा प्राप्त करने कें अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी की

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

ओर झांकते हुए दरवाजा खिडकी, नाली , परनाले कायम नही करे तथा विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नही करें।

प्रकरण दर्ज जरिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य हेतु नकल जमाबन्दी खाता संख्या 29 ग्राम डागरपुर संवत 2071–74 प्रदर्स–1, नक्शा ट्रेस लटठा ग्राम डागरपुर प्रदर्स–2, फोटो कॉपी नक्शा बन्दोवस्ती शीट ग्राम डागरपुर, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम डागरपुर प्रदर्स–3, फोटो ग्राफ विवादित स्थल प्रदर्स–4 व प्रदर्स--5 पेश किया। वादी जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कलाधर सिंह, गवाह विजय कुमार पुत्र भगवानसिंह उम्र 48 वर्ष जाति त्यागी निवासी ग्राम डागरपुर एंव शैलू पुत्र देवीचरन उम्र 35 वर्ष जाति त्यागी निवासी ग्राम डागरपुर का शपथ पत्र बावत मुख्य परीक्षण पेश किया एंव बयान दर्ज कराए।

विद्वान वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्स–1 जमाबंन्दी संवत 2071 – 2074 से स्पष्ट है कि वादी जगदीश विवादित आराजी का एकान्तिक रूप से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रदर्स– 3 संवत 2071–2074 में फसल रवी में फसल सरसों दर्ज रिकॉर्ड है। बहस एकपक्षीय सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने के उपरांन्त हम दावा वादी अंन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी ख.नं. 186 वाके ग्राम डागरपुर तहसील व जिला धौलपुर में वादी के कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में दखल पैदा नही करें तथा विवादित आराजी की ओर झांकते हुए दरवाजा, खिडकी, नाले, परनाले, रोशनदान कायम नही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)